भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1172

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

कोर खुदरा मुद्रास्फीति पर सोने की कीमत का प्रभाव

1172. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विगत बारह महीनों के दौरान सोने की बढ़ी हुई कीमतों ने कोर खुदरा मुद्रास्फीति में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान दिया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस प्रवृत्ति ने सोने पर अत्यधिक निर्भरता वाले राज्यों में घरेलू बजट पर असमानुपातिक रूप से प्रभाव डाला है;

(ग) क्या सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों, विशेषकर तमिलनाडु की ग्रामीण महिलाओं के उपभोग और बचत पर निरंतर बनी रही सोने की मुद्रास्फीति के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने बढ़ती सोने की मुद्रास्फीति के कारण देश पर में गैर-संस्थागत स्वर्ण ऋण, आभूषणों की संकटकालीन बिक्री और गिरवी रखने की गतिविधियों में वृद्धि देखी है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर, पिछले बारह माह (जुलाई 2024 से जून 2025) के दौरान कोर मुद्रास्फीति (खाद्य तथा पेय पदार्थ और ईंधन एवं बिजली को छोड़कर सीपीआई) में सोने का औसत मासिक योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। भारत में सोना दोहरी भूमिका निभाता है - न केवल उपभोग की वस्तु के रूप में बल्कि निवेश के साधन के रूप में भी, क्योंकि इसे अनिश्चितताओं से बचाव के लिए एक सुरक्षित आश्रय आस्ति के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, जब मौजूदा सोने की धारिता का आनुमानिक मूल्य बढ़ता है तो सोने की कीमत में वृद्धि धन संबंधी प्रभाव के माध्यम से पारिवारिक उपभोग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। निरंतर उच्च रहने वाली सोने की कीमत का राज्यों या जनसंख्या के समूहों में अलग-अलग प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों पर जिनकी सोने पर सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक निर्भरता अधिक है और जहां सामाजिक अवसरों पर सोने की खरीद पारंपरिक रूप से अनिवार्य है। तथापि, समय के साथ अधिमूल्यन की संभावना के साथ इसे एक आस्ति (नकद) से दूसरी आस्ति (सोना) में परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है।

(ग) और (घ): इस संबंध में सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ): आरबीआई ने सोने की तुलना में औपचारिक ऋण उपलब्धता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, विशेष रूप से छोटे उधारकर्ताओं के लिए जिन्हें कम मूल्य के ऋणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सोने के संपार्श्विक के बदले उपभोग ऋण के लिए अधिकतम ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात को ₹2.5 लाख तक के ऋणों के लिए 85% तक और ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच के ऋणों के लिए 80% तक बढ़ाना, जबकि ₹5 लाख से अधिक के ऋणों के लिए 75% की पुरानी सीमा बनी हुई है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू एकमुश्त (बुलेट) पुनर्भुगतान ऋण (जहां मूलधन और ब्याज दोनों का भुगतान केवल ऋण की परिपक्वता पर बकाया होता है) पर ₹4 लाख की पुरानी सीमा को हटा दिया गया है। इसके अलावा, अनौपचारिक उधार पद्धतियों को हतोत्साहित करने के लिए, आरबीआई ने संपार्श्विक के स्वामित्व में अस्पष्टता और ऋणदाताओं द्वारा सोना/चांदी संबंधी संपार्श्विक को फिर से गिरवी रखने की प्रथा के मामले में स्वर्ण ऋण प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, उपार्जित ब्याज की अदायगी पर नवीकरण के लिए पात्र एकमुश्त (बुलेट) पुनर्भुगतान ऋण के साथ, उधारकर्ता के औपचारिक अनुरोध पर ऋणदाता, ऋण मूल्यांकन, स्वीकार्य एलटीवी सीमा और ऋण को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के अध्यधीन ऋण का नवीकरण कर सकते हैं। विनियामक प्रयासों और अन्य प्रकार के संपार्श्विक की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च एलटीवी अनुपात के कारण उधारकर्ताओं की स्वर्ण ऋणों की ओर परिवर्तित होती हुई प्राथमिकताओं के संयुक्त प्रभाव को दर्शाते हुए, आरबीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, स्वर्ण आभूषणों पर बैंक ऋणों का मूल्य मई, 2024 में ₹1,16,777 करोड़ से बढ़कर मई 2025 में ₹2,51,369 करोड़ हो गया है।

****